भारत सरकार

रेल मंत्रालय

राज्य सभा

08.08.2025 के

तारांकित प्रश्न सं. 225 का उत्तर

रेलवे की यात्री आरक्षण प्रणाली में सुधार किया जाना

***225. श्री येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डीः**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रेलवे यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) में पूर्णताः बदलाव करने जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो मौजूदा पीआरएस में क्या चुनौतियां पेश आ रही हैं;

(ग) टिकट आरक्षण की अवधि को 90 दिनों से घटाकर 60 दिन करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या रेलवे 90 दिनों या 120 दिनों की प्रणाली पुनः शुरू करेगा, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) वर्तमान पीआरएस में एक मिनट में कितने टिकट बुक किए जा सकते हैं और पीआरएस में सुधार के बाद कितने टिकट बुक किए जा सकेंगे?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

रेलवे की यात्री आरक्षण प्रणाली में सुधार किए जाने के संबंध में दिनांक 08.08.2025 को राज्य सभा में श्री येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डी के तारांकित प्रश्न सं. 225 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर से संबंधित **विवरण।**

(क) से (ङ): भारतीय रेल, रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (क्रिस) के माध्यम से यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) का पूरी तरह से नवीकरण कर रही है। यात्री आरक्षण प्रणाली के नवीकरण में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क उपकरण, सुरक्षा अवसंरचना और कार्यात्मकताओं का उन्नयन और प्रतिस्थापन शामिल हैं, जो नई विशेषताओं को संभालने में सक्षम डिज़ाइन वाली नई प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं।

मौजूदा यात्री आरक्षण प्रणाली 2010 में लागू की गई थी और यह आइटेनियम सर्वर पर चलती है तथा ओपन वीएमएस (वर्चुअल मेमोरी सिस्टम) को खोलती है। वर्तमान यात्री आरक्षण प्रणाली का नवीनतम लीगैसी प्रौद्योगिकी प्रणाली से क्लाउड प्रौद्योगिकी अनुरूप प्रणाली में उन्नयन अपेक्षित है। पिछले कुछ वर्षों में, यात्रियों की प्राथमिकताएँ और आकांक्षाएँ बदल गई हैं। आधुनिकीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली का उद्देश्य यात्रियों की बढ़ी हुई आकांक्षाओं को पूरा करना है।

रेलवे ने हाल ही में रेलवन एप लांच किया है। यात्री इस एप के माध्यम से मोबाइल फोन पर ही आरक्षित और अनारक्षित टिकट बुक कर सकते हैं। वस्तुत: इससे यात्री आरक्षण प्रणाली यात्री की हथेली पर आ गई है।

01 नवंबर, 2024 से, गाड़ियों में आरक्षित टिकटों की बुकिंग के लिए पहले अग्रिम आरक्षण अवधि 120 दिन थी जिसे कम करके यात्रा की तिथि को छोड़कर 60 दिन कर दिया गया है। यह परिवर्तन बुकिंग की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए और अप्रत्याशित घटनाओं के कारण टिकटों के रद्दकरण को कम करने के लिए किया गया है।

बुकिंग की प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया के आधार पर अग्रिम आरक्षण अवधि में परिवर्तन करना सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

वर्तमान यात्री आरक्षण प्रणाली में प्रति मिनट लगभग 25,000 टिकट बुक किए जा सकते हैं और नई प्रणाली इस क्षमता से 4 गुना अधिक टिकटें बुक करने के लिए डिज़ाइन की गई है।

*****